सं. 31011/4/2008-स्था०(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली ; दिनांक : 23.9.2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठां केन्द्रीय वेतन आयोग – एल.टी.सी. से संबंधित सिफारिशें – उनको स्वीकृत किया जाना ।

छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप सी.सी.एस.(एल.टी.सी.) नियमावली, 1988 में निम्नलिखित के अनुसार आवश्यक परिवर्धन/परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है ।

नियम 4(घ) परिवार की परिभाषा -

माता-पिता तथा/या सौतेले माता-पिता (सौतेली माता तथा सौतेले पिता) जो पूरी तरह सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हों, उन्हें एल.टी.सी. के प्रयोजन से परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, भले ही वे सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हों या नहीं ।

निर्भरता की परिभाषा को केन्द्रीय सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन तथा उस पर मंहगाई राहत से जोड़ा जाएगा । विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त/अलग हो चुकी/विधवा पुत्रियों सहित परिवार में शामिल अन्य संबंधों के मामले में वर्तमान शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

नियम 8 एल.टी.सी. के प्रकार

केन्द्र सरकार में नए भर्ती कार्मिकों को 4 वर्ष के ब्लॉक में अपने परिवार के साथ तीन बार अपने गृहनगर (होमटाउन) तथा चौथी बार भारतवर्ष में कहीं भी जाने की अनुमति होगी । यह सुविधा सरकारी अधिकारियों के लिए केवल पहले 4 वर्षों के दो ब्लॉक के लिए उपलब्ध होगी, जो सरकार में पहली बार ज्वाइन करने वालों के लिए लागू होगा । 4 वर्षों के ब्लॉक सरकार में ज्वाइन करने की शुरुआती तिथि के संदर्भ में लागू होंगे, भले ही कार्मिक की नौकरी बाद में सरकार में ही अन्यत्र परिवर्तित हो जाए । वर्तमान ब्लॉक वही रहेंगे, परन्तु सेवा के पहले 8 वर्षों में नए भर्ती होने वाले अधिकारियों की हकदारी भिन्न होंगी । एल.टी.सी. के अंतर्गत यात्रा की संख्या (फ्रीक्वेंसी) से संबंधित अन्य सभी प्रावधानों को यथावत् रखा गया है ।

नियम-12 हकदारी

सरकारी दौरे, स्थानांतरण या एल.टी.सी. के प्रयोजन के लिए यात्रा हकदारी वही होगी, परन्तु एल.टी.सी. पर यात्रा के लिए दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा । इसके अलावा, यह सुविधा केवल उन्हीं वाहनों में की गई यात्रा के मामले में ही मान्य होगी, जो सरकार द्वारा संचालित हों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित हों । तथापि, निजी एयरलाइनों द्वारा की गई यात्रा, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19024/आई./ई.-IV/2005 तथा इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार स्वीकार्य रहेगी ।

एल.टी.सी. के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण

सरकारी अधिकारियों को पूरे कैरियर के दौरान 60 दिनों की सीमा तक एल.टी.सी. लेने के समय 10 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराने का अधिकार होगा । एल.टी.सी. लेने के समय नकदीकृत अवकाश को सेवानिवृत्ति के समय नकदीकरण योग्य अर्जित अवकाश की अधिकतम धनराशि में से घटाया नहीं जाएगा । आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं, एल.टी.सी. लेने की वर्तमान हकदारी अपरिवर्तित रहेगी तथा एल.टी.सी. लेने के समय 10 दिनों के बराबर नकदीकरण उनके कैरियर के दौरान अधिकतम 60 दिनों की शर्त पर उपलब्ध होगा ।

2. **ये परिवर्तन 01 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे ।**

3. 31 अगस्त, 2008 से पहले की अवधि से संबंधित एल.टी.सी. दावे को यात्रा की तिथि पर लागू नियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

4. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

प्रभाकरन

(पी. प्रभाकरन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 23093176

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सामान्य संख्या में प्रतियों के साथ)

प्रतिलिपि :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली.
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली.
4.. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली.
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली.
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली.
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली.
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली.
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली.
10. सभी संघ शासित प्रशासन.
11. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली.
12. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय.
13. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में सभी अधिकारी एवं अनुभाग.
14. वेबसाइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.
15. सुविधा केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 25 प्रतियाँ
16. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ